न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 52/2020 (GCMS : 2020/00129)

1. चुन्नीलाल पुत्र भीराजराम जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

--- **प्रार्थी**

बनाम

1. नौरंगराम पुत्र स्व. भीराजराम जाति कुमार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मथुरादेवी पुत्री स्व. भीराजराम पत्नी गोपीराम जाति कुम्हार निवासी खाजाखेड़ा तहसील रानीया जिला सिरसा, हरियाणा
3. शांति देवी पुत्री स्व. भीराजराम पत्नी गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी 9 एसपीएम् ढाणी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. स्व. जमना बाई पुत्री स्व. भीराजराम पत्नि स्व. काशीराम जाति कुम्हार निवासी केराखेड़ा महाजन तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. संजय कुमार पुत्र. बुधराम जाति बिश्नोई निवासी धिकतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. बाबा धर्मनाथ चेला स्व. शुभनाथ जाति नाथ निवासी नाथांवाला 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. कृष्णलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. कुलवीर सिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. अन्य हितबद्ध पक्षकार
10. स्टेट ऑफ राजस्थान

--- **अप्रार्थीगण**

18.05.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 9/... अनवानी सरकार बनाम चुन्नीलाल आदि अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी में नि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:32 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 9/2019 अनवानी सरकार बनाम चुन्नीलाल आदि अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी ने कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.202[illegible] [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:32 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर